

प्रथम आवंटन

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515001010400

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/मण्डलीय उप निदेशक(प०),

आगरा, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, सहारनपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, इलाहाबाद,
वाराणसी, कानपुर नगर, फैजाबाद तथा आजमगढ़।

संख्या- 1/शा०/10(5)/2017-1/28/2017 : लखनऊ: दिनांक ०५ मई, 2017

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-04-मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि के 5/12 भाग की स्वीकृति के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त उप सचिव, पंचायती राज उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-36/2017/711/33-3-2017-100(3)/2017 दिनांक 02 मई, 2017 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि की 5/12 भाग की धनराशि मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु संलग्न तालिका में रू० 10177596/- (एक करोड़ एक लाख सतहत्तर हजार पांच सौ छियानवे मात्र) धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय झाप संख्या-1/2017/बी०-1-02/दस-2017-231/2016 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय झाप संख्या-3/2017/बी०-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फंजिग स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
4. आवंटित की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी०-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. उपयुक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-04-मंडल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
8. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

9. कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
10. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
11. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
12. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
13. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
14. आवंटित की जा रही धनराशि से एरियर का भुगतान कदापि न किया जाय।
15. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - 1) कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिफ्लेक्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 2) प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 10-02-2018 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 3) व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15-02-2018 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 4) वर्ष 2017-18 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 20-02-2018 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-85 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/10(5)/1/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018

आवंटन दिनांक-05/05/2017

प्रेषण संख्या:- 1-sha-10-5-2017-1-28-2017
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-28-2017
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेतर-मलदेय)
101 - पंचायती राज
04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भता	06-अन्य भते	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	329415 329415	6588 6588	14922 14922	350925 350925
2	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	885167 885167	17703 17703	40098 40098	942968 942968
3	अलीगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	475075 475075	9501 9501	21520 21520	506096 506096
4	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	450168 450168	9003 9003	20392 20392	479563 479563
5	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1064096 1064096	21281 21281	48203 48203	1133580 1133580
6	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	331632 331632	6632 6632	15022 15022	353286 353286
7	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	905534 905534	18110 18110	41020 41020	964664 964664
8	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1219088 1219088	24381 24381	55224 55224	1298693 1298693
9	धाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	718620 718620	14372 14372	32553 32553	765545 765545

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-महंगाई भता	06-अन्य भते	योग
10	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1220826 1220826	24416 24416	55303 55303	1300545 1300545
11	आजमगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	358433 358433	7168 7168	16237 16237	381838 381838
12	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1307655 1307655	26153 26153	59236 59236	1393044 1393044
13	कैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	288041 288041	5760 5760	13048 13048	306849 306849
	योग	वर्तमान प्रगामी	9553750 9553750	191068 191068	432778 432778	10177596 10177596

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):-

रूपया एक करोड़ एक लाख सतहतर हजार पाँच सौ छियानवे

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ एक लाख सतहतर हजार पाँच सौ छियानवे

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी